

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

डॉ० केशवमणि शर्मा पता- " राजमंदिर ", 30, सेठी नगर, उज्जैन (मध्य प्रदेश)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा / उपखंड अधिकारी लालसोट
अपील संख्या 06 / 2023

निर्णय

दिनांक 08.02.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांत को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को पत्र क्रमांक: डीएम/कोर्ट/2023/213 दिनांक 24.01.2023 के द्वारा अपीलांत को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने पत्र क्रमांक:आरटीआई/2023/117 दिनांक 25.01.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना उपखंड अधिकारी लालसोट से संबंधित होने से अपीलांत का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत उपखंड अधिकारी लालसोट को स्थानान्तरित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट ने पत्र क्रमांक/ आरटीआई/2022/1365 दिनांक 25.11.2022 के द्वारा अपीलांत को सूचना की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। उक्त पत्रादि की प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।



(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर दौसा
जिला कलक्टर दौसा

